



उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 23 अग्रहायण, शक संवत्, 1934

( दिनांक : 14 दिसम्बर, 2012 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. निधन के निदेश।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
5. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ, यदि कोई हों।
6. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
7. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ, यदि कोई हों।  
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ख")
8. कार्यस्वगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
9. परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)

## प्रस्तावक का नाम

## संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री हरबंश कपूर
3. श्री मदन कौशिक
4. श्री दलीप सिंह रावत
5. श्री अजय टन्टा

"उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

6. श्री महावीर सिंह
  7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
  8. डा० प्रेम सिंह
  9. श्री यतीश्वरानन्द
  10. श्री चन्दन राम दास
  11. श्री हरभजन सिंह चीमा
  12. श्री विशन सिंह घुफाल
  13. श्री तीरथ सिंह रावत
  14. श्री आदेश चौहान
  15. श्रीमती विजय बड़वाल
  16. श्री राजेश शुक्ला
  17. श्री दान सिंह भण्डारी
  18. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
  19. श्री बंशीधर भगत
  20. श्री पुष्कर सिंह धामी
  21. श्री सहदेव सिंह
  22. श्री जणेश जोशी
  23. श्री मालचन्द
  24. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
  25. श्री राजकुमार ठुकराल
  26. श्री भीमलाल आर्य
  27. श्री चन्द्रशेखर
  28. श्री संजय गुप्ता
  29. श्री अरविन्द पाण्डे
10. परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मोटोरयान करगधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
11. परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री हरबंश कपूर
3. श्री मदन कौशिक
4. श्री दलीप सिंह रावत
5. श्री अजय टम्टा
6. श्री महावीर सिंह

“ उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
8. डा0 प्रेम सिंह
9. श्री यतीश्वरानन्द
10. श्री चन्दन राम दास
11. श्री हरभजन सिंह चीमा
12. श्री विशन सिंह बुफाल
13. श्री तीरथ सिंह रावत
14. श्री आदेश चौहान
15. श्रीमती विजय बड़धवाल
16. श्री राजेश शुक्ला
17. श्री दान सिंह भण्डारी
18. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
19. श्री बंशीधर भगत
20. श्री पुष्कर सिंह धामी
21. श्री सहदेव सिंह
22. श्री गणेश जोशी
23. श्री मालचन्द
24. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
25. श्री राजकुमार ठुकराल
26. श्री भीमलाल आर्य
27. श्री चन्द्रशेखर
28. श्री संजय गुप्ता
29. श्री अरविन्द पाण्डे

12. परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
13. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य एकल स्त्रिडकी सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री हरबंश कपूर
3. श्री मदन कौशिक
4. श्री दलीप सिंह रावत
5. श्री अजय टन्ड
6. श्री महावीर सिंह
7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
8. डा0 प्रेम सिंह

“ उत्तराखण्ड राज्य एकल स्त्रिडकी सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

9. श्री यतीश्वरानन्द
10. श्री चन्दन राम दास
11. श्री हरमजन सिंह वीमा
12. श्री विशन सिंह चुफाल
13. श्री तीरथ सिंह रावत
14. श्री आदेश चौहान
15. श्रीमती विजय बड़ख्वाल
16. श्री राजेश शुक्ला
17. श्री दान सिंह भण्डारी
18. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
19. श्री बंशीधर भगत
20. श्री पुष्कर सिंह धामी
21. श्री सहदेव सिंह
22. श्री गणेश जोशी
23. श्री मालचन्द
24. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
25. श्री राजकुमार ठुकराल
26. श्री भीमलाल आर्य
27. श्री चन्द्रशेखर
28. श्री संजय गुप्ता
29. श्री अरविन्द पाण्डे

14. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य एकल सिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
15. सिंचाई मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री हखंश कपूर
3. श्री मदन कौशिक
4. श्री दलीप सिंह रावत
5. श्री अजय टम्टा
6. श्री महावीर सिंह
7. श्री पूरन सिंह फर्चाल
8. डा0 प्रेम सिंह

“ उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

9. श्री यतीश्वरानन्द
  10. श्री चन्दन राम दास
  11. श्री हरभजन सिंह चीमा
  12. श्री विशन सिंह चुफाल
  13. श्री तीरथ सिंह रावत
  14. श्री आदेश चौहान
  15. श्रीमती विजय बड़खवाल
  16. श्री राजेश शुक्ला
  17. श्री दान सिंह भण्डारी
  18. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
  19. श्री बंशीधर भगत
  20. श्री पुष्कर सिंह धामी
  21. श्री सहदेव सिंह
  22. श्री गणेश जोशी
  23. श्री मालचन्द
  24. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
  25. श्री राजकुमार ठुकराल
  26. श्री भीमलाल आर्य
  27. श्री चन्द्रशेखर
  28. श्री संजय गुप्ता
  29. श्री अरविन्द पाण्डे
16. सिंचाई मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
17. सिंचाई मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री हरबंश कपूर
3. श्री मदन कौशिक
4. श्री दलीप सिंह रावत
5. श्री अजय टम्ट
6. श्री महावीर सिंह
7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
8. श्री यतीश्वरानन्द

"उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

9. श्री चन्दन राम दास
  10. श्री विश्व सिंह चुफाल
  11. श्री तीर्थ सिंह रावत
  12. श्री आदेश चौहान
  13. श्रीमती विजय बड़वाल
  14. श्री राजेश शुक्ला
  15. श्री दान सिंह भण्डारी
  16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
  17. श्री बंशीधर भगत
  18. श्री पुष्कर सिंह धामी
  19. श्री सहदेव सिंह
  20. श्री गणेश जोशी
  21. श्री मालचन्द
  22. श्री राजकुमार ठुकराल
  23. श्री चन्द्रशेखर
  24. श्री संजय गुप्ता
  25. श्री अरविन्द पाण्डे
18. सिंचाई मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड बाढ़ नैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
19. राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री हरवंश कपूर
3. श्री मदन कौशिक
4. श्री दलीप सिंह रावत
5. श्री अजय ट्यटा
6. श्री महावीर सिंह
7. श्री पूरन सिंह फर्चाल
8. श्री यतीश्वरानन्द
9. श्री चन्दन राम दास
10. श्री विश्व सिंह चुफाल
11. श्री तीर्थ सिंह रावत
12. श्री आदेश चौहान
13. श्रीमती विजय बड़वाल
14. श्री राजेश शुक्ला

“ उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

15. श्री दान सिंह भण्डारी
  16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
  17. श्री बंशीधर भगत
  18. श्री पुष्कर सिंह धामी
  19. श्री सहदेव सिंह
  20. श्री गणेश जोशी
  21. श्री मालचन्द
  22. श्री राजकुमार टुकराल
  23. श्री चन्द्रशेखर
  24. श्री संजय गुप्ता
  25. श्री अरविन्द पाण्डे
20. राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
21. राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री हरवंश कपूर
3. श्री मदन कौशिक
4. श्री दलीप सिंह रावत
5. श्री अजय टम्टा
6. श्री महावीर सिंह
7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
8. श्री यतीश्वरानन्द
9. श्री चन्दन राम दास
10. श्री विशन सिंह चुफाल
11. श्री तीरथ सिंह रावत
12. श्री आदेश चौहान
13. श्रीमती विजय बड़व्याल
14. श्री राजेश शुक्ला
15. श्री दान सिंह भण्डारी
16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
17. श्री बंशीधर भगत
18. श्री पुष्कर सिंह धामी
19. श्री सहदेव सिंह
20. श्री गणेश जोशी
21. श्री मालचन्द
22. श्री राजकुमार टुकराल

“ उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

23. श्री चन्द्रशेखर
24. श्री संजय गुप्ता
25. श्री अरविन्द पाण्डे

22. राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
23. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री हरबंश कपूर
3. श्री मदन कौशिक
4. श्री दलीप सिंह रावत
5. श्री अजय टम्टा
6. श्री महावीर सिंह
7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
8. श्री यतीश्वरानन्द
9. श्री चन्दन राम दास
10. श्री विशन सिंह चुफाल
11. श्री तीरथ सिंह रावत
12. श्री आदेश चौहान
13. श्रीमती विजय बड़धवाल
14. श्री राजेश शुक्ला
15. श्री दान सिंह भण्डारी
16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
17. श्री बंशीधर भगत
18. श्री पुष्कर सिंह धामी
19. श्री सहदेव सिंह
20. श्री गणेश जोशी
21. श्री मालचन्द
22. श्री राजकुमार ठुकराल
23. श्री चन्द्रशेखर
24. श्री संजय गुप्ता
25. श्री अरविन्द पाण्डे

“ उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)



24. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
25. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
“प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।” (30 मिनट)
26. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा के नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
“जनपद देहरादून के पछादून क्षेत्र की नदियों में घुगान का कार्य जो जढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीव्र वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।” (30 मिनट)
27. श्री हेमेश शर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा के नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
“बनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।” (30 मिनट)
28. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा के नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
“विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय” (30 मिनट)
29. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-  
“यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।” (30 मिनट)
30. नियम- 105 के अन्तर्गत श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
“यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के हरवाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।” (30 मिनट)

31. नियम- 105 के अन्तर्गत श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
“ उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाज के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।”
32. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
33. विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के ग्राम पंचायत चांदा में खरहरा नदी में बाढ़ आने से चांद, भिलइया एवं बरी गांव के आस-पास के क्षेत्रों की कृषि भूमि, राजकीय भूमि एवं भवन तथा आवासीय भवनों को हुई अत्यधिक क्षति एवं किसानों को हो रहे नुकसान के संबंध में डा० प्रेम सिंह राना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को दी गई सूचना पर, आपदा प्रबन्धन मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
34. जनपद पिथौरागढ़ के बडालू में ए०एन०एम० ट्रेनिंग सेन्टर के भवन एवं छात्रावास का निर्माण दो वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी उसमें ट्रेनिंग न दिलाये जाने के संबंध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को दी गई सूचना पर, बिकित्सा शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।
35. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला तथा मुनस्यारी के अनेक गांवों में भारी वर्षा तथा भू-स्खलन की दैवी आपदा से पेयजल स्रोतों, पैदल मार्गों, मोटर मार्गों तथा सम्पत्ति को हुए नुकसान के संबंध में श्री हरीश धामी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को दी गई सूचना पर, आपदा प्रबन्धन मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
36. जनपद देहरादून तहसील विकासनगर के विकास खण्ड विकासनगर की 18 बाढ़ सुरक्षा सिंचाई योजनाएँ आपदा ग्रस्त होने के कारण सिंचाई विभाग के मरम्मत के प्रस्ताव के उपरान्त भी पुनः निर्माण न कराये जाने के संबंध में श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।
37. जन-गण-मन। ( देखिए नत्थी “ग”)

देहरादून :

दिनांक : 14 दिसम्बर, 2012

आज्ञा से,

(डी०पी०गैरोला)

प्रमुख सचिव।



तृतीय सत्र, 2012  
का द्वितीय शुक्रवार

## उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 23 अग्रहायण, शक संवत्, 1934

( दिनांक : 14 दिसम्बर, 2012 )

### नत्थी "क"

#### तारांकित प्रश्न

श्री पूरन सिंह  
फत्याल  
08.10.2012

\*1. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत लोहाघाट के अधीन नगर पंचायत द्वारा बेनाप भूमि में खड़े क्षतिग्रस्त पेड़ों की नीलामी की गयी है ? यदि हां, तो नीलामी से प्राप्त धनराशि क्या राज्य सरकार के संबंधित खाते में जमा है ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी  
विकास

श्री सुरेन्द्र सिंह  
जीना  
19.10.2012

\*2. अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में किन किन पौराणिक/धार्मिक आयोजनों में पशुबलि को प्रतिबन्धित किया है ? सरकार यह भी बताएगी कि ऐसे पौराणिक/धार्मिक आयोजनों में उपबन्धित प्रतिबन्ध क्या है ?

पशुपालन

## अतारांकित प्रश्न

श्री गणेश जोशी  
19.11.2012

1 क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सहकौशल विकास भत्ता दिये जाने को लेकर बनायी गयी नियमावली में अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 वर्ष किये जाने, परिवार के सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिये जाने आवेदक रोजगार/स्वरोजगार में न लगा हो तथा अन्य जटिल निर्धारित मानकों में छूट दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षित बेरोजगार जिनकी राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गयी है ऐसे बेरोजगारों के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं  
सेवायोजन

डा० जीतराम  
20.11.2012

2 क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ष अवैध मत्स्य आखेट से सरकार को कितना राजस्व नुकसान होता है तथा अवैध मत्स्य आखेट रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

मत्स्य पालन

श्री नवप्रभात  
21.11.2012

3 क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के पृथ्वीपुर पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

पशुपालन

श्री मदन कौशिक  
03.10.2012

4 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों में ए०डी०बी० योजना के अन्तर्गत पानी की लाईन डाली गयी थी ? यदि हां, तो क्या ए०डी०बी० योजना के द्वारा पानी की लाईने डालने का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी कि०मी० लाईने डाली गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शहरी विकास मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पानी की लाईने डालने के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी  
विकास

श्री चन्दन राम  
दास  
08.10.2012

5 क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर नगर में सीवर लाइन योजना स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो इस सीवर लाइन की कुल लागत कितनी है तथा कार्य कब से प्रारम्भ किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी  
विकास

नत्थी-“ख”

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 की बैठक में दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

दिसम्बर, 2012

14 शुक्रवार,  
विधायी कार्य।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।



उत्तराखण्ड विधान सभा

## नत्थी "ग"

### राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता ॥

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठ

द्राविड-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग ॥

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे ॥

गाहे तव जय गाथा ॥

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता ॥

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ॥